

सं. अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 के बीच में व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2020-21 के लिए व्यय का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹ 3,43,678 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। व्यय की बड़ी मर्दे, जहां अन्तर आये हैं, नीचे दर्शायी गई हैं:

(₹ करोड़)

	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21	अन्तर बचत(-)/ अधिक(+)
1 ब्याज भुगतान	625105	708203	(+) 83098
2 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	446958	514788	(+) 67830
3 रक्षा और संचार को छोड़कर पूँजी परिव्यय	233807	272452	(+) 38645
4 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	234616	264994	(+) 30378
5 पेंशन	184147	210682	(+) 26535
6 संचार	20649	65514	(+) 44865
7 रक्षा	316296	323053	(+) 6757
8 प्राकृतिक आपदाओं के कारण दी गई राहत	18301	23197	(+) 4896
9 जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3007	6659	(+) 3652
10 पुलिस	90625	93597	(+) 2972
11 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	25587	29774	(+) 4187
12 ग्रामीण रोजगार	71002	61500	(-) 9502
13 अन्य व्यय	428452	467817	(+) 39365
कुल व्यय	2698552	3042230	(+) 343678

वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई:-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए मुख्यतः बाजार ऋणों पर ब्याज तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज के कारण अधिक आवश्यकता।
- अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान हेतु उच्चतर प्रावधान, राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान विशेष सहायता, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता तथा जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति राशि जारी करना।
- सड़क परिवहन, रेलवे के अंतर्गत किए गए उच्चतर प्रावधानों और भावी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) तथा खाद्य सस्सिडी के अंतर्गत उच्चतर आवश्यकता।
- सेवानिवृत्ति लाभों तथा सिविल और रक्षा सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन के भुगतान हेतु उच्चतर आवश्यकता।
- 4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल में पूँजीगत अनुप्रेरण, बीएसएनएल/एमटीएनएल के कर्मचारियों के वीआरएस के कार्यान्वयन और अनुग्रह-राशि के भुगतान के लिए।
- पूँजीगत अधिप्राप्ति / प्रापण के अंतर्गत बड़ी आवश्यकताओं और रक्षा सेवाओं के वेतन का भुगतान करने तथा अन्य कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए।
- गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर तत्काल राहत के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान।
- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी / भारत के महापंजीयक की अधिक आवश्यकताओं के लिए।
- आंतरिक सुरक्षा के लिए वर्धित व्यय।
- जन स्वास्थ्य के अंतर्गत वर्धित व्यय।

कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:-

- महातमा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत कम आवश्यकता।